

अनुसूची "झ"
(देखें नियम 34)

लोकायुक्त झारखण्ड राँची के कार्यालय में ।

परिवाद सं०..... वर्ष.....

.....परिवादी(शिकायत कर्ता)

बनाम

.....लोक-सेवक,

सेवा में,

.....

.....

.....

चूँकि लोकायुक्त उक्त अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट अपनी सिफारिश और निष्कर्षों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और चूँकि उनका विचार है कि उक्त अधिनियम की धारा-12 के अनुसार राज्यपाल को एक विशेष रिपोर्ट की जाय, इसलिए तदनुसार उन्होंने इस मामले पर ऐसा रिपोर्ट झारखण्ड के राज्यपाल को कर दी है।

मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर के साथ दिया गया ।

तारीख.....

सचिव/उप-सचिव
लोकायुक्त झारखण्ड राँची का
कार्यालय ।